न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला—अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क.—567 / 10 संस्थापित दिनांक—16.12.2010 Filling no. 235103001002010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर (म.प्र.)। अ भियोजन
विरुद्ध
सुखवीर उर्फ सुखचरण पुत्र बकसीस सिंह सिक्ख, उम्र—27 साल, निवासी—ग्राम गरेठी चक थाना पिपरई जिला अशोकनगर (म.प्र.)।
ाजला अशाकनगर (म.प्र.)। आरोपी

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 24.01.2018 को घोषित)</u>

01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं धारा 03/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 28.10.2010 को समय 9:30 बजे ग्राम खिरिया पुलिया के पास रोड पर सार्वजनिक रोड पर मोटर साईकिल सी.टी.—100 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त मोटर साईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाते हुये आहत रूकमनबाई को टक्कर मारकर उपहित कारित की तथा उक्त मोटर साईकिल को बिना अनुज्ञप्ति के सार्वजनिक स्थान पर चलाया तथा उक्त वाहन को बिना रिजस्ट्रेशन एवं बिना बीमा के चलाया।

02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी हजरत ने घायल भानेज रूकमन की उपस्थित में मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 28.10.10 को वह तथा मां किस्साबाई, बिहन तेजाबाइ एवं भानेज रूकमन पिपरई जाने के लिये पुलिया पर खडे होकर टेक्सी का इंतजार कर रहे थे तभी गरेठी तरफ से सुखवीर पुत्र बकसीस निवासी गरेठी चकक का उसकी लाल रंग की बजाज सीटी—100 को तेजी व लारपवाही से चलाकर लाया और रूकमन को टक्कर मार दी जिससे रूकमन को माथे एवं पैरों में चोट आयी। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटर साईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियोजन की ओर से साक्षी केशर उर्फ किस्साबाई (अ.सा.—1), हजरत सिंह (अ.सा.—2), विजेन्द्र सिंह (अ.सा.—3), भगवत प्रसाद शर्मा (अ.सा.—4), डॉ. दिनेश त्रिपाठी

(अ.सा.—5), रामगोपाल (अ.सा.—6), मोहन सिंह (अ.सा.—7) के कथन कराये गये। यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में आरोपो को अस्वीकार किया गया था, किन्तु दिनांक 24.01.18 को आरोपी सुखवीर द्वारा अपना अपराध स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर, भय, दबाब के स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं धारा 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहा है। फलतः अभियुक्त को धारा 279 एवं 337 भा.द.वि. के तहत 500—500/— रूपये के अर्थदण्ड से तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 में 2000/— रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 146/196 में 500/— रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 3/181 में 200/—रूपये के अर्थदण्ड से दिन्डत किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने अभियुक्त को प्रत्येक धारा के लिये 15—15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

05— प्रकरण में जप्तसुदा मोटर साईकिल सी.टी.—100 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अविध पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

06— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अविध के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

07- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

Criminal Case No-567/10 Filling number-235103001002010